संख्या - 10/23/2007-आई.आर.

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 09 जुलाई, 2007

कार्यालय ज्ञापन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पहली अपील का निपटान ।

स्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा इस विभाग की
ाया गया है कि :-

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपीलों का निपटान
ा निर्धारित समय सीमा में नहीं करते हैं ;
अपीलीय प्राधिकारी न्यायिक ढंग से अपीलों की जांच नहीं करते और वे केन्द्रीय लोक
री के निर्णय के साथ यथावत अपनी सहमति प्रकट कर देते हैं ;

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अपीलकर्ता को सूचना देने के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पालन नहीं करते हैं ।

का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (6) में प्रावधान है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को
ोने के 30 दिनों के भीतर अपील का निपटान कर देना चाहिए । आपवादिक मामलों में
कारी अपील के निपटान में इस शर्त पर 45 दिन का समय ले सकता है कि वह अपील के
य लेने में हुए विलम्ब के कारण को लिखित रूप में दर्ज करेगा । इसलिए हर प्रथम अपीलीय
यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपील का निपटान अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर
दि कुछ आपवादिक मामलों का निपटान 30 दिनों के अंदर कर पाना संभव न हो तो इसके
5 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए । ऐसे मामलों में अपीलीय प्राधिकारी को अपील
य 30 दिनों में न कर पाने के कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करना चाहिए ।

का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलों का निपटान एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है ।
आवश्यक है कि अपीलीय प्राधिकारी यह ध्यान दे कि केवल न्याय किया ही न जाए बल्कि यह
हिए कि न्याय किया गया है । ऐसा करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश
ोना चाहिए जिसमें लिए गए निर्णय के औचित्य को भी बताया गया हो ।